	promotion.
	<b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :	Not applicable.
1.Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman;	
2.Head of the concerned department, Safdarjang Hospital -Member;	
3.Deputy Director looking after the work of Safdarjang Hospital	
in Directorate General of Health Services -Member.	

[A.12018/18/2016-MH II] PREM NARAIN, Under Secy.

## नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 200.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में व्यावसायिक चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, व्यावसायिक चिकित्सक, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता**.— वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

	पद की	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन या अचयन	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
पद का नाम		<b>पं</b> गाकरण	• ,		
	संख्या		स्तर	पद	आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
व्यावसायिक ( चिकित्सक * वे	(2) 02* (दो) 2020 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	(4) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	(5 <i>)</i> लागू नहीं होता ।	30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी, न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख,
					अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधी भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा की	1 11 11 100111 1111
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं	अवधि यदि कोई हो	द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या
	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा	61	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा
	में लागू होंगी या नहीं		तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों
			की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	आयु: लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	100 प्रतिशत सीधी भर्ती
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या	शैक्षिक अर्हताएँ : लागू नहीं		द्वारा ।
संस्थान से व्यावसायिक चिकित्सा में	होता ।		टिप्पण 1: पदधारी के
स्नातक की डिग्री;			प्रतिनियुक्ति पर या लंबी
(ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान			बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य
में व्यावसायिक चिकित्सक के रूप में दो वर्ष			परिस्थिति में एक वर्ष या
का अनुभव।			अधिक अवधि के लिए बाहर
या			रहने के कारण हुई रिक्तियां,
			केन्द्रीय सरकार के ऐसे
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से			अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति
विज्ञान (भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान			पर भरी जा सकेंगी जो-
और जीव विज्ञान) के साथ बारहवीं कक्षा पास ।			(क) (i) जो नियमित
			आधार पर सदृश पद धारण
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या			किए हुए हैं ; या
संस्थान से व्यावसायिक चिकित्सा में दो			17876111
वर्ष की अवधि का डिप्लोमा; और			(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स

(iii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान		के स्तर-5 (29200-
में व्यावसायिक चिकित्सक के रूप में तीन		92300 रुपए) में पदों पर
वर्ष का अनुभव ।		छह वर्ष की नियमित सेवा
C C		की हो; और
		(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन
		सीधी भर्ती किये जाने वाले
		व्यक्तियों के लिए विहित
		अर्हताएं और अनुभव रखते
		हैं।

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:	लागू नहीं होता
	<ol> <li>अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - अध्यक्ष;</li> <li>लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष - सदस्य;</li> </ol>	
	<ul><li>3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के</li><li>प्रशासनिक कार्य देख रहे उपनिदेशक - सदस्य;</li></ul>	
	4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के उपनिदेशक - सदस्य ।	

[ए.11018/34/2019-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव,

## New Delhi, the 14th December, 2020

- **G.S.R. 200.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, The President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Occupational Therapist, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Occupational Therapist, (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay	Whether	Age-limit for direct
ranie or post	rvamoer or post	Classification	matrix	selection post	recruits
			11	or non-	10010105
				selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Occupational	2*(2020)	General Central	Level-6 in the	Not applicable	Not exceeding thirty
Therapist	*subject to	Service, Non-	pay matrix		years of age.
_	variation	Ministerial, Non-	(35400-112400)		(Relaxble for
	dependent on	Gazetted, Group 'B'			government servant
	workload				up to five years in
					accordance with the
					instructions or
					orders issued by the
					Central
					Government).
					<b>Note</b> : The crucial
					date for determining
					the age-limit shall
					be the closing date
					for receipt of
					applications from
					candidates and not
					the closing date
					prescribed for those
					in Assam,
					Meghalaya,
					Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur,
					Nagaland, Tripura,
					Sikkim, Lahaul and
					Spiti District and Pangi Sub-Division
					of Chamba District
					of Himachal
					Pradesh and the
					Union territories of
					Ladakh, Andaman
					and Nicobar Islands
					and Lakshadweep.
	1	I		l	and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various	
			methods	
(7)	(8)	(9)	(10)	
Essential: Age: Not applicable.		Two years	100 per. cent by direct	
(i) Bachelors degree	Educational qualifications:		recruitment.	
in Occupational Therapy	Not applicable.	<b>Note</b> : Vacancies caused by the		
from recognised University			incumbent being away on	

or institute.  (ii) Two years experience as Occupational Therapist in a Government hospital or institute.  Or  (i) 12 <sup>th</sup> class pass with Science (Physics, Chemistry and Biology) from a recognised Board or institute.  (ii) Diploma of two years duration in Occupational Therapy from a recognised		deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.  (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or  (ii) with six years regular service in posts in level -5 in the pay matrix( 29200 - 92300 ); and  (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column
Therapy from a recognised University or institute.		direct recruits under column number (7).
(iii) Three years experience as a Occupational Therapist in a recognised hospital or institute.		

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -  1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman;  2. Head of the Neurology Department, Lady Hardinge Medical College -Member;  3. Deputy Director in Directorate general of health services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College -Member;	Consultation with UPSC is not necessary.
	4. Deputy Director of Lady Hardinge Medical College-Member.	

[A.11018/34/2019-MH II] PREM NARAIN, Under Secy.

## नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2020

सा.का.िन. 201 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में मनोवैज्ञानिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, मनोवैज्ञानिक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।